न्यायालय अति0जिला कलेक्टर,टोंक

(शिवचरण मीना,आर0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 15 / 2007

प्रविष्टि दिनांक 09.10.2007

सरकार जरिए तहसीलदार मालपुरा जिला टोंक

–प्रार्थी

बनाम

1–कमला बेवा श्रवण कौम बलाई सा. राजपुरा (मालपुरा)जिला–टोंक
2–नरेन्द्र पुत्र श्रवण कौम बलाई सा. राजपुरा (मालपुरा)
3–विकास समिति मेघवंशी (बलाई) समाज बृजलाल नगर जरिये कोषाध्यक्ष महावीर प्रसाद पुत्र नानूराम मेघवंशी (बलाई) सा. बृजलाल नगर तहसील मालपुरा

–अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित–

1. पेरोकार सरकार
2. श्री परशुराम चौधरी एडवोकेट

<u>निर्णय</u> **दिनांक 27–6–2023**

यह प्रार्थना पत्र तहसीलदार मालपुरा द्वारा राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 82 के तहत प्रस्तुत किया है। संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार हैं कि खसरा नम्बर 1337 रकबा 19.18 बीघा किस्म बंजड ग्राम मालपुरा भू–प्रबन्ध के रिकॉर्ड में सिवायचक दर्ज थी। यह खसरा नं. मालपुरा ग्राम से नवीन ग्राम बृजलाल नगर में दर्ज है। दिनांक 18–11–1975 को उक्त खसरा नं. में से 5 बीघा भूमि श्री श्रवण पुत्र रोडू कौम बलाई निवासी राजपुरा तहसील मालपुरा को आवंटित होकर नामा. नं. 273 से गैर खातेदारी स्वीकार हुई तथा नामा. सं. 1087 से खातेदारी स्वीकार हुई। उक्त भूमि विवादित एवं मौके पर आदिनांक बंजड बरूवे रिकॉर्ड दर्ज है इससे स्पष्ट जाहिर है कि आवंटी का मौके पर कब्जा नहीं रहा न ही वर्तमान में रिकार्ड में दर्ज कृषकों का कब्जा है। बरवक्त आवंटन प्रार्थी द्वारा उक्त खसरा नं. में आवंटन बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत न कर अन्य खसरा नं. में आवंटन हेतु आवेदन किया था जिसकी बजाय आवंटन कमेटी द्वारा खसरा नं. 299 हाल खसरा नंबर 1337 / 299 / 1 / 3 में आवंटन कर दिया। आवंटित भूमि वर्तमान में काश्त के काम नहीं आ रही है। आवंटित भूमि जिस खसरा नं. में स्थित है उसी खसरा नं. में श्मशान स्थित है। उक्त भूमि जरिये बेचान अप्रार्थी सं. 3 के हक में दर्ज रिकॉर्ड है। उक्त कारणों से तहसीलदार मालपुरा द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अप्रार्थी को आवंटन की गई भूमि का नामा. सं. 273 गैर खातेदारी 1607 विरासत व 1087 खातेदारी व बेचान के नामा. सं. 1657 को निरस्त कराने हेतु राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में रेफरेन्स अभिशंषा के साथ भिजवाने हेतु निवेदन किया हैं।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एंव तलबी जरिए नोटिस विपक्षी की गई। अप्रार्थी सं. 1 व 2 को जारी नोटिस बाद तामिल प्राप्त हुए परन्तु अप्रार्थी सं0 1 व 2

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
टोंक

अनुपस्थित रहे जिनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही की गई। अप्रार्थी सं. 3 की ओर से अभिभाषक श्री परशुराम चौधरी उपस्थित हुए। अभिभाषक ने जवाब पेश कर बहस की।

राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया एंव निवेदन किया खसरा नम्बर 1337 रकबा 19.18 बीघा किस्म बंजड ग्राम मालपुरा भू-प्रबन्ध के रिकॉर्ड में सिवायचक दर्ज थी। यह खसरा नं. मालपुरा ग्राम से नवीन ग्राम बृजलाल नगर में दर्ज है। दिनांक 18.11.1975 को उक्त खसरा नं. में से 5 बीघा भूमि श्री श्रवण पुत्र रोडू कौम बलाई निवासी राजपुरा तहसील मालपुरा को आवंटित होकर नामा. नं. 273 से गैर खातेदारी स्वीकार हुई तथा नामा. सं. 1087 से खातेदारी स्वीकार हुई। उक्त भूमि विवादित एवं मौके पर आदिनांक बंजड बरूवे रिकॉर्ड दर्ज है इससे स्पष्ट जाहिर है कि आवंटी का मौके पर कब्जा नहीं रहा न ही वर्तमान में रिकार्ड में दर्ज कृषकों का कब्जा है। बरवक्त आवंटन प्रार्थी द्वारा उक्त खसरा नं. में आवंटन बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत न कर अन्य खसरा नं. में आवंटन हेतु आवेदन किया था जिसकी बजाय आवंटन कमेटी द्वारा खसरा नं. 299 हाल खसरा नंबर 1337/299/1/3 में आवंटन कर दिया। आवंटित भूमि वर्तमान में काश्त के काम नहीं आ रही है। आवंटित भूमि जिस खसरा नं. में स्थित है उसी खसरा नं. में श्मशान स्थित है। उक्त भूमि जरिये बेचान अप्रार्थी सं. 3 के हक में दर्ज रिकॉर्ड है। अतः उक्त आवंटन की गई भूमि का नामा. सं. 273 गैर खातेदारी 1607 विरासत व 1087 खातेदारी व बेचान के नामा. सं. 1657 को निरस्त कराने हेतु राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में रेफरेन्स को प्रेषित किया जावे।

अभिभाषक अप्रार्थी सं. 3 ने अपनी बहस में निवेदन किया कि तहसीलदार मालपुरा ने जो रेफरेन्स पेश किया है, वह खारिज किये जाने योग्य है। तहसीलदार मालपुरा ने नामा.सं. 273, 1087, 1607 व 1657 को निरस्त कराने के लिए एक ही रेफरेन्स पेश किया है जबकि प्रत्येक नामा. की अलग अलग रेफरेन्स होती है। आवेदन सन 2007 में पेश किया है। आवेदन का सत्यापन नहीं किया गया है। आवेदन के साथ दफा-5 लिमिटेशन का प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र भी पेश नहीं किया है। आराजी खसरा नं. 299 वाके ग्राम बृजलालनगर तहसील में से 5.00 बीघा भूमि श्रवण पुत्र रोडू जाति बलाई निवासी राजपुरा को दिनांक 18.11.1975 को आवंटित की गई थी। उक्त खसरा नम्बर का काफी बड़ा रकबा है, आवंटन समिति के सदस्य तहसीलदार मालपुरा स्वयं थे। आवंटन के बाद तहसीलदार मालपुरा ने लेण्ड होल्डर की हैसियत से गैर खातेदारी का नामान्तकरण संख्या 273 व खातेदारी का नामान्तकरण संख्या 1087 स्वयं ने तस्दीक किया है। आवंटन जिला कलेक्टर टोंक के प्रतिनिधि की उपस्थिति में हुआ है। इसलिए तहसीलदार मालपुरा को उक्त आवेदन पेश करने का व माननीय न्यायालय को उक्त प्रकरण को सुनने का अधिकार नहीं है।

आवंटन के बाद श्रवण को जरिये नामान्तकरण संख्या 1087 खातेदारी अधिकार दिये गये है। राजस्व रिकार्ड में अप्रार्थीगण खातेदार काश्तकार दर्ज है जब तक अप्रार्थीगण खातेदार दर्ज है तब तक नामान्तकरण निरस्त किये जाने का कोई कानूनी प्रावधान नहीं है। श्रवण की मृत्यु के बाद विरासत का नामान्तकरण कमला व नरेन्द्र के हक में भरा गया है। कमला व नरेन्द्र ने उक्त आराजी जिसके वर्तमान खसरा नं. 1337/299/1/3 है, का बेचान विकास समिति मेघवंशी बलाई समाज को कर दिया है। उक्त आराजी के बाबत उपखण्ड अधिकारी मालपुरा द्वारा प्रकरण सुबराती बनाम विकास समिति में निर्णय भी पारित किया जा चुका है, एवं इसी आराजीयात के बाबत सिविल न्यायालय मालपुरा के यहां एक सिविल बाद भी लम्बित है जिसमें निर्णय होना शेष है। आवंटन 1975 का है। आवंटन के समय भूमि सिवायचक काबिल काश्त थी जिसका बेचान हो चुका है। आवेदन दुर्भावना से देरी से पेश

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
टोंक

किया है। तहसीलदार मालपुरा आवंटन सलाहकार समिति का सदस्य होने के नाते उक्त आवेदन पेश करने के लिए सक्षम नहीं है। श्रवण की मृत्यु के बाद इसके वारिसान के हक में नामान्तरण भरा गया है। गैरखातेदारी व खातेदारी का नामा. व खातेदार की मृत्यु के बाद विरासत का नामा. सही भरा गया है। अतः उक्त रेफरेन्स खारिज फरमाया जावे।

हमने अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी एंव बहस पर मनन किया एंव पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों नकल जमाबन्दी 2010–29, नकल जमाबन्दी 2031–2063, नकल नामान्तकरण सं. 273,1087,1607,1757 (बृजलाल नगर) व खसरा गिरदावली नकलें व आवंटन पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। नकल भू प्रबन्ध खतोनी बन्दोबस्त जमाबंदी सम्वत 2010–29 में खसरा नम्बर 1337 रकबा 19.18 बीघा बंजड अव्वल भूमि दर्ज थी। भू आवण्टन सलाहकार समिति के द्वारा दिनांक .18–11–1975 को खसरा नम्बर 1337 में से 5 बीघा भूमि श्री श्रवण पुत्र रोडू कौम बलाई निवासी राजपुरा तहसील मालपुरा को आवंटित की गई थी। आवण्टन आदेश की अनुपालना में श्री श्रवण पुत्र रोडू कौम बलाई निवासी राजपुरा तहसील मालपुरा को नामा0 सं0 273 के द्वारा गैर खातेदारी एंव नामा0 संख्या 1087 को खातेदारी अधिकार दे दिये गये। श्रवण की मृत्यु के बाद विरासत का नामान्तकरण कमला के हक में भरा गया है। श्रवण के वारिसान कमला ने उक्त आराजी जिसके वर्तमान खसरा नं. 1337/299/1/3 है, का बेचान विकास समिति मेघवंशी बलाई समाज को कर दिया है। आवन्टन आदेश 47 वर्ष पुराना है तथा मिसरिप्रजेन्टेशन के आधार पर कराया जाना नहीं पाया जाता है। आवंटन के पश्चात नामान्तरकरण सं0 273,1087,1607 व 1657 स्वीकार करने की समस्त कार्यवाही विधिवत रूप से की गई है। रेफरेन्स प्रकरण को स्वीकार कर माननीय राजस्व मण्डल अजमेर को भिजवाया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 अस्वीकार किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 27–6–2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शिवचरण मीणा)
अति.जिला कलेक्टर,टोंक

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर
टोंक